अजमेर साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

शेयर मार्केटिंग में निवेश का मोटा मुनाफ देकर करोड़ों की ठगी करने के 2 आरोपी गिरफ्तार

अजमेर, (कासं)। शहर में बढ़ते साइबर अपराधों पर रोक लगाने को लेकर एसपी देवेंद्र विश्नोई के दिशा निर्देशों पर अजमेर साइबर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए शेयर मार्केटिंग में बड़ा मुनाफे का झांसा देकर 1 करोड़ 24 लाख की ठगी के मामले में गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों से 19 लाख 46 हजार 800 रुपए नगदी, 14 मोबाइल, 8 सिम, 4 एटीएम डेबिट कार्ड, ठगों से जुड़े 28 अन्य आरोपियों को नामजद करते हुए चिह्नित किया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

जिला पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र कुमार विश्नोई ने सोमवार को मामले का खुलासा करते हुए मीडिया को बताया कि पुलिस थाना साइबर अपराध के प्रकरण संख्या 11/2024 धारा 316(2), 318(4), 112 व 61 भारतीय न्याय सहिता (बी.एन.एस.) 2023 पुलिस थाना साईबर अपराध जिला अजमेर में परिवादी के साथ शेयर मार्केटिग में बड़ा मुनाफे का झांसा देकर 1 करोड़ 24 लाख की ठगी करने वाले गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार किया है।

जिला पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र कुमार विश्नोई ने एक करोड़ रुपये की ठगी के मामले का खुलासा किया।

- **आरोपियों के कब्जे से 19 लाख की नकदी, 14 मोबाइल सहित अन्य सामान जब्त**
- **28 अन्य आरोपियों को किया नामजद**

सोशल मीडिया के माध्यम से लिया झांसे में :- एसपी विश्नोई ने बताया कि 6 जुलाई को परिवाद के साथ अज्ञात आरोपी द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से सम्पर्क कर शेयर मार्केट में बडा मुनाफा देने का झांसा देकर मोतिलाल ओसवाल पीएमएस का फर्जी एप्प डाउनलोड करवाकर उक्त एप्प के माध्यम से टुकड़ो में करीबन 1 करोड 24 लाख रुपए ठगी की वारदात अंजाम दी। एसपी ने बताया कि आरोपी फर्जी तरीके से प्राप्त बैंक खातों में रकम डलावकर क्रिप्टोकेरेंसी/ यूएसडीटी में बदल कर उक्त क्रिप्टोकेरेंसी/ यूएसडीटी को भारतीय मुद्रा में बदलकर फर्जी तरीके प्राप्त अन्य बैंक खातो में डलवाकर नकद निकाल लेते हैं।

यूं चढ़े हत्थे :- एसपी विश्नोई ने बताया कि प्रकरण में अनुसंधान के लिए उ.नि. मनीष चारण के नेतृत्व में टीम का गठन किया। जांच टीम ने संबंधित बैकों के नोडल अधिकारी एवं बैंक प्रबंधकों से सहयोग प्राप्त कर आरोपियों को चिह्नित कर दो आरोपी हरिश शर्मा पुत्र सजंय शर्मा निवासी वार्ड नम्बर 20 मारूका बास कुचेरा पुलिस थाना कुचेरा जिला नागौर व रघुनाथ पुत्र रामदेव चौधरी निवासी ठाम मांझी तहसील डेगाना पुलिस थाना डेगाना जिला नागौर को गिरफ्तार कर लिया।

नकदी सहित मोबाइल व डेबिट कार्ड, सिम जब्त :- एसपी विश्नोई ने बताया कि आरोपी हरिश शर्मा के कब्जे से 16 लाख 56 हजार 800 रुपए तथा दो मोबाइल फोन तथा आरोपी रघुनाथ के कब्जे से 11 स्मार्ट फोन व 1 कीपेड फोन, 4 बैक पीएनबी बैंक की अन्य व्यक्तियों की पासबुक, अन्य व्यक्तियो के 4 एटीएम डेबिट कार्ड, 8 मोबाइल सीम कार्ड व 2 लाख 90 हजार की नकद जप्त की है। प्रकरण में अब तक 28 अन्य आरोपीयों को नामजद किया है, जिनकी तलाश जारी हैं। प्रकरण में दोनों आरोपियों से 19 लाख 46 हजार 800 रुपए तथा 8 लाख 75 हजार 500 रुपए बैक खातों में फ्रीज करवाए हैं। गिरोह शामिल अन्य शेष नामजद आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।

ज्ञापन देने गये लोगों को अधिकारी नहीं मिलने पर प्रदर्शन किया

सभापति पर नियमों के विपरित परिषद चलाने का आरोप

भीलवाड़ा नगर परिषद के सभापति राकेश पाठक के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्री पर उग्र प्रदर्शन किया।

भीलवाड़ा। नगर परिषद के सभापति राकेश पाठक के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्री पर उग्र प्रदर्शन किया।

नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारीक के नेतृत्व में नगर परिषद से कांग्रेसी पार्षद और कार्यकर्ता जिला कलेक्टर को विभिन्न मांगो को लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए कलेक्ट्री पहुंचे, जहां अधिकारी नही मिलने पर कांग्रेसियों ने हंगामा खड़ा कर दिया और कलेक्ट्री के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। अधिकारियों की अनुपस्थिति में ज्ञापन एसडीएम सिटी ऑफिस के बाहर चस्पा कर दिया गया। ज्ञापन में कांठोसियों का कहना था की परिषद के बोर्ड गठन के बाद अब तक मात्र चार बार बोर्ड बैठकों का आयोजन किया गया, क्योंकि सभापति और अधिकारियों द्वारा नियमों के विपरित परिषद को चलाया जा रहा है और जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ज्ञापन में सभी पार्षदों के अधिकारों का उलाघन्न करने का आरोप लगाया गया है। कांठोस नेताओं ने परिषद सभापति राकेश पाठक को राजस्थान सरकार नगर पालिका कार्य संचालन अधिनियम 2009 के नियमों का दुरुपयोग करने के कारण बर्खास्त करने की मांग की है।

रेलवे ने पटरियों पर रील नहीं बनाने के प्रति किया आगाह

रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारों पर सेल्फी लेना हो सकता है जानलेवा

जोधपुर, (निसं.)। रेलवे ने रेल लाइनों और प्लेटफॉर्म किनारों पर सेल्फी लेने और सोशियल मीडिया के लिए रील बनाने वाले यात्रियों और आम लोगों को ऐसा नही करने के प्रति आगाह किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि मोबाइल फोन के प्रचलन के साथ ही लोगों में रेलवे क्षेत्र में सेल्फी लेने और स्टंट करने का क्रेज निरंतर बढ़ता जा रहा है जो जोखिम भरा और जानलेवा हो सकता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मारवाड़ जंक्शन के पास गोरम घाट पर घटित घटना से सबक लेने की आवश्यकता है जिसमें एक दंपत्ति पुल से गिरने से बुरी तरह से जख्मी हो गए थे।

- **पटरियों व इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक के आसपास पतंगबाजी से बचने की भी सलाह**

उन्होंने बताया कि रेल प्रशासन द्वारा इस संबंध में सदैव एडवायजरी जारी की जाती है कि सार्वजनिक स्थल होने के कारण रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्टंट और पटरियों के आसपास पतंगबाजी प्रतिबंधित है और अब जब सभी जगह इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो चुका है ऐसे में बरसात और त्योंहार के मौके पर पतंबाजी में प्रयुक्त मांझा इलेक्ट्रिक तारों से करंट प्रवाह कर जानलेवा हो सकता है। इसके साथ ही रेलवे पटरियों व प्लेटफॉर्म के किनारों पर मोबाइल इयरफोन का इस्तेमाल करना भी घातक है।

डीआरएम ने कहा कि इसके अतिरिक्त यात्रियों द्वारा चलती ट्रेन में गेट के पायदान पर सेल्फी लेना अथवा रील बनाने की प्रवर्ति भी जानलेवा है। उन्होंने यात्रियों व आमजन को आगाह करते हुए यात्रा के दौरान प्लेटफॉर्म के किनारों,रेल पटरियों और पुलों पर चढ़कर मोबाइल फोन के इस तरह से इस्तेमाल से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जोधपुर मंडल के सभी रेल खंडों पर इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य होने से लोगों को लेवल क्रॉसिंग से गुजरते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि करंट युक्त तारों के नीचे से वह ज्यादा ऊंचाई वाले वाहनों का उपयोग नहीं करें अन्यथा करंट की चपेट में आने से दुर्घटना घटित हो सकती है।

रेलवे अधिनियम में है जुर्माने का प्रावधान :- रेलवे अधिनियम की 189 की धारा 153 के तहत रेल यात्रियों और खुद की सुरक्षा को खतरे में डालने के कृत्य पर 1 से 5 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए भी प्रावधान करता है।

मालगाड़ी से रेस के स्टंट पर आरपीएफ ने की थी कार्यवाही :- उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष अप्रेल में जोधपुर कैंट रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी से रेस करने का तीन युवकों का प्लेटफॉर्म पर स्टंट करने का वीडियो वायरल होते ही आरपीएफ ने इनके विरुद्ध कार्यवाही की थी। यात्रियों ने इसका वीडियो बनाकर आरपीएफ को सूचित किया था।

पति-पत्नी ने ज्वैलर्स से की लाखों की धोखाधड़ी

अजमेर, (कासं)। कोतवाली थाने क्षेत्र के एक ज्वैलर्स के साथ पति-पत्नी द्वारा लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामले सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि दंपत्ति ने मिलकर 30 लाख 90 हजार रुपए का 421.940 ग्राम सोना खरीदकर धोखाधड़ी की है। पीड़ित ने सोना खरीदने के बाद जो रकम का चेक दिया गया वह बाउंस हो गया, रकम का तकाजा करने पर धमकियां दी जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वैशालीनगर निवासी सुनार अभिनय गोलेच्छ ने कोतवाली थाने में एक दंपत्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। दर्ज रिपोर्ट में पीड़ित ने बताया कि नया बाजार में उसकी ज्वैलर्स की दुकान है, मार्च माह में निशाद खान और उनकी पत्नी नजमा खान सोना खरीदने आए थे। उन्होंने 421.940 ठाम सोना खरीदा, जिसकी कीमत 30 लाख 90 हजार रुपये थी। सोना खरीदने के बाद दोनों ने एक चेक भी दिया था और कहा कि चेक को दी गई तारीख के बाद बैंक में जमा करा देना। पीडित् गोलेच्छ ने बताया कि दंपत्ति की बातों पर विश्वास करते हुए कुछ दिनों बाद बैंक में चेक लगाया, तो चेक बाउंस हो गया। इसके बाद उन्होंने निशाद और नजमा से संपर्क किया तो दोनों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए रकम लौटोन से मना कर दिया।

13 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोपी गिरफ्तार

सरसों तेल खरीद के रुपये मांगने पर बहाना बनाते रहे

भरतपुर (निस)। थाना उद्योगनगर पुलिस ने 13 लाख 53 हजार 970 रूपये की धोखाधडी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

- **बिहार में बोगस फर्म निकली**

2 अप्रैल को संजय पुत्र गोपालचन्द सिंघल जित वैश्य निवासी बीनारायण गेट भरतपुर हाल मालिक फर्म गोवर्धन आयल मिल पुराना औद्योगिक क्षेत्र उद्योगनगर ने विमलशाह पुत्र वीरेन्द्रशाह, संजय शाह, विमल शाह व आलोकशाह प्रोपराइटर मां संतोषी भण्डार बक्सर (बिहार) वैगराह के विरुद्ध उसके द्वारा व्यापारिक सम्बन्ध होने के नाते 2 जून 2016 को प्रोपराइटर माँ संतोषी भण्डार बक्सर ने 13 लाख 53 हजार 970 रूपये का तेल खरीदा। जिसे ट्रॉसपोर्ट कम्पनी भरतपुर द्वारा भिजवाया गया। सरसों का तेल प्राप्त होने पर भी उनके द्वारा वीरेन्द्रशाह, संजय शाह, विमल शाह व आलोकशाह से तेल खरीद के रूपये मांगने पर मोबाईल फोन पर सम्पर्क करने पर दिलासा देते रहे।

काफी समय व्यतीत होने पर उनके द्वारा बक्सर (बिहार) जाकर लोगों से प्रोपराइटर माँ संतोषी भण्डार बक्सर (बिहार) की जानकारी की तो इस नाम की कोई फर्म नही होना बताया और लोगों से पूछताछ में बताया कि वीरेन्द्रशाह, संजय शाह, विमल शाह व आलोकशाह यहां से पता नही कहा चले गये है। हमारी जानकारी में नही है। इस सम्बन्ध में थाना उद्योगनगर पर मामला दर्ज कराया गया था। एएसआई रामगापोल मय जाप्ता द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी विमलशाह पुत्र वीरेन्द्रशाह उम्र 28 साल जाति वैश्य निवासी खरहाटार बक्सर थाना सिमरी जिला बक्सर हाल आशीर्वाद कुंज शरारी गुप्ती आरा रोड दानापुर थाना शाहपुर जिला पटना बिहार को गिरफ्तार किया गया है।

विवाहिता के फोटो, वीडियो किए वायरल

भीलवाड़ा। रायपुर थाना क्षेत्र के कोशीथल गांव में एक विवाहिता द्वारा मोबाइल रिपेयर करवाने के बाद में मोबाइल शॉप मालिक व मिस्त्री के द्वारा उसके निजी फोटो और वीडियो मोबाइल से लेकर वायरल कर लज्जा भंग और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है।

पीड़िता की रिपोर्ट के बाद में रायपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। रायपुर थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता के पति ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी पत्नी का पांच माह पूर्व आईफोन कंपनी का मोबाइल खराब हो गया था। जिसको उसकी पत्नी ने कोशीथल में हेमेंद्र सिंह सोलंकी की पवनपुत्र मोबाइल शॉप के नाम से दुकान है जिस पर रिपेयरिंग के लिए रखवाया। वहां पर मोबाइल रिपेयर करने वाले मिस्त्री हसन पिता जाकिर छिपा निवासी कोशीथल ने उसके फोन के पासवर्ड लिए और निजी फोटो और वीडियो अपने कंप्यूटर में लेकर गांव के अन्य लोगों को दिखाएं और उसकी पत्नी को बार-बार मैसेज कर पांच लाख रुपए की मांग की, नहीं देने पर आरोपियों ने उसकी पत्नी के निजी फोटो और वीडियो वायरल कर दिए।

इसके बाद में पीड़िता के पति ने रायपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया।

न्यायालय में अपने साथी का होठ काटने वाला अधिवक्ता निलंबित

सात दिवस की निलंबित अवधि में पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर दिया

चूरू, (कासं)। न्यायालय में अपने साथी का होठ काटने वाले अधिवक्ता को निलंबित किया गया है। जिला न्यायालय परिसर में दो अधिवक्ताओं के मध्य हुए विवाद में एक अधिवक्ता के होठ काटने की घटना पर संज्ञान लेते हुए जिला अभिभाषक संघ ने सोमवार को एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में जिला अभिभाषक संघ चूरू के अध्यक्ष नरेंद्र सैनी, बीरबल सिंह लाम्बा, आनन्द बालान, बजरंगलाल शर्मा, गफ्फार अहमद खान, हकीम अहमद खान, सुरेंद्र सिंह शेखावत, विजेंद्र सिंह रामपुरा, गोपाल शर्मा, नरेंद्र सिहाग, ललित गोतम, रामेश्वर प्रजापति, गजेन्द्र खत्री, सलीम खान, प्रताप सिंह बिदावत, सांवरमल स्वामी, राकेश बहादुर खान, उम्मेद सिंह, धन्ने सिंह, अभिषेक पूनिया आदि ने अपने विचार व्यक्त कर अपने सुझाव दिये।

बैठक में इस सम्पूर्ण घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण माना। जिला अभिभाषक संघ चूरू की ओर से दोनों पक्षों को यहां उपस्थित होने के लिए तथा अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस दिया। नोटिस के बाद एक पक्ष के सुशील शर्मा उपस्थित हुए तथा दूसरे पक्ष महिमन जोशी अनुपस्थित रहे। सुशील शर्मा ने पूरा घटनाक्रम बताया जिसकी पुष्टि मौके पर उपस्थित अधिवक्ताओं ने की। घटना के लिए महिमन जोशी को प्रथम दृष्टि दोषी माना गया।

इस दौरान महिमन जोशी द्वारा लिखा एक प्रार्थना पत्र राकेश बहादुर एडवोकेट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसमें घटना के संबंध में उचित निर्णय का अनुरोध किया गया, किंतु महिमन जोशी के अनुपस्थित रहने की स्थिति में उस पर विचार किया जाना संभव नहीं हुआ व घटना की भर्त्सना करते हुए घटना के लिए जिम्मेदार अधिवक्ता महिमन जोशी की कड़ी निंदा की गई। साथ ही बार द्वारा सर्व सम्मति से महिमन जोशी को जिला अभिभाषक संघ चूरू की प्राथमिक सदस्यता से 7 दिवस के लिए निलंबित किया गया। उक्त सात दिवस की अवधि में महिमन जोशी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर दिया गया। सात दिवस में अपना पक्ष नहीं रखने की स्थिति में महिमन जोशी के सम्बन्ध में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए पत्र लिखा जाएगा तथा जिला अभिभाषक संघ चूरू के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा पुलिस अधीक्षक से वार्ता कर उक्त प्रकरण पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की जायेगी। इस घटना के संबंध में जिले की सभी तहसील बार संघो ने भी महिमन जोशी के विरूद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया है। इस अवसर पर सुमेर सिंह, संजीव वर्मा, हनुमान प्रसाद स्वामी, रमेश राहड, महेंद्र न्यौल, नरेंद्र सिंह राठौड़, अभिषेक टावरी, जगदीश कस्वां, सिकन्दर खान, एडवोकेट सद्दाम हुसैन, योगेश शर्मा, पवन शेखावत, वैदही शर्मा, शिवसिंह, नरेंद्र पूनियां, ओमप्रकाश वर्मा, विकास तंवर, विकास सैनी, बाबूलाल सैनी, आमीर खान, सुरेंद्र बागडी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित थे।

सी.आई.एस.एफ. जवान ने की आत्महत्या

छुट्टी पर आया था घर, तीन महीने पहले हुई थी शादी

चौरु/उनियारा, (निसं)। सी.आई.एस.एफ. जवान ने घर में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। तीन दिन पहले ही वह छुट्टियां लेकर घर आया था। तीन महीने पहले जवान की शादी हुई थी। पत्नी 5 दिन ही ससुराल में रही थी। उसके बाद से जवान के ससुराल वाले पत्नी को नहीं भेज रहे थे। मामला टोंक के सोप में गांव कल्याणपुरा का रविवार रात 2 बजे का है।

जवान की वर्तमान में छत्तीसगढ के बिलाई में पोस्टिंग थी। थाना प्रभारी राजेश तिवाडी ने बताया कि सुसाइड करने वाला सीआईएसएफ जवान सुरेश मीणा (32) पुत्र रामप्रसाद मीणा है। रविवार रात 11 बजे उसने बड़े भाई राकेश कुमार को कॉल किया था। राकेश खाटूश्यामजी गया था। सुरेश ने पूछा था कि भैया घर कितने बजे लौटोगे। राकेश ने कहा था, आ रहा हू एक दो बजे आ जाऊंगा। राकेश रात करीब दो बजे घर आया और सुरेश कमरे में गया तो वह पंखे से रस्सी के सहारे लटका मिला।

मृतक सी.आई.एस.एफ. जवान।

सोप थाना प्रभारी तिवाडी ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जवान को नीचे उतारकर अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बड़े भाई राकेश कुमार ने बताया कि सुरेश की शादी अप्रैल में हुई थी। तब उसकी पत्नी चार-पांच दिन रही थी। उसके बाद वह पीहर गई तो नहीं लौटी। सुरेश के ससुराल वाले पता नहीं किस बात से नाराज थे कि उन्होंने फिर पत्नी को ससुराल नहीं भेजा। शादी में लडकी पक्ष की ओर से दहेज में दी गई स्विफ्ट डिजाइर कार को भी करीब 15 दिन पहले ले गए थे। इसकी जानकारी हमने सुरेश को भी दे दी थी। सुरेश ने कहा था कि कोई बात नहीं है। मैं कुछ दिन बाद घर आऊंगा। वहीं बैठकर इस पूरे मामले पर बात करेंगे। उन्होंने बताया कि सुरेश तीन भाइयों में सबसे छोटा था। तीन माह पहले ही शादी हुई थी। परिजनों के अनुसार वह आया जब किसी तरह के तनाव में नहीं था। अचानक उसने खुदकुशी करली। किस वजह से की, समझ नहीं आ रहा है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

RAJASTHAN HOUSING BOARD
No. :- RE/RHB/BKN/2024-25/131 Dated :- 12/07/2024
Notice Inviting Bid 01/2024-25
Bid for the work of Arboriculture & Plantation work at Shiv Bari, RHB Scheme, Bikaner, Rs. 19.40 Lacs, of subject matter (s) of (Procurement) are invited from interested bidders from 16.07.2024 to 23.07.2024 upto 6.00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the state and RHB websites: https://www.urban.rajasthan.gov.in/rhb, https://eproc.rajasthan.gov.in & sppp.rajasthan.gov.in.
UBN No. : RHB2425WSOB00095
Raj.Samwad/C/24/2323 Resident Engineer, Division-Bikaner

अवैध हथियार सहित दो आरोपी गिरफ्तार

करौली (नि.स.)। करौली सदर थाना पुलिस ने दुकान पर बैठे युवक पर फायरिंग करने के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से एक देशी कट्टा, एक खाली कारतूस और एक मोटरसाईकिल जब्त कि हैं।

करौली सदर थाना अधिकारी योगेंद्र शर्मा ने बताया कि राजपाल 23 पुत्र हरीओम नाई निवासी चूरिया की थाना मामचारी ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वो दुकान के सामने पट्टी पर बैठकर मोबाइल चला रहा था। इसी दौरान फौजी गुर्जर पुत्र हंसराज निवासी रामपुर और शीशराम गुर्जर पुत्र मोहन गुर्जर निवासी चूरिया ने उस पर देसी कट्टे से फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद आरोपी मोटरसाईकिल पर बैठकर भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों व घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार की तलाश में जुट गई। इस दौरान आसूचना अधिकारी कॉन्स्टेबल धवन ने आरोपियों की पहचान की। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर शीशराम गुर्जर उर्फ शिकारी गुर्जर पुत्र मोहन गुर्जर 24 निवासी चूरिया थाना मामचारी और फौजी गुर्जर पुत्र हंसराम गुर्जर 21 निवासी रामपुर धाबाई, थाना सदर करौली को पकड़ा है।

पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी गंगापुर जाने वाले रोड पर रामपुर धाबाई गांव की तरफ जाने वाले रास्ते में कहीं बाहर जाने की फिराक में खड़े है। फौजी गुर्जर के बांए पैर में सफेद पट्टी बंधी है। इनके पास अवैध हथियार हो सकते है। सूचना पर थानाधिकारी पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे। जहां मुखबिर द्वारा दी सूचना के अनुसार हुलिया के दो युवक खड़े मिले। जिन्हें पुलिस ने बडी सूझबूझ एवं सर्तकता से पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों से एक देशी कट्टा, एक खाली कारतूस व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल को बरामद किया है।

देवस्थान विभाग का अतिरिक्त कमिश्नर रिश्वत मामले में गिरफ्तार

जयपुर, (निसं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की अलवर टीम ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त कमिश्नर (आरएएस) देवस्थान विभाग आकाश रंजन को रिश्वत मांगने के एक मामले में गिरफ्तार किया हैं। एसीबी की टीम ने कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट की पालना करते हुए आकाश रंजन को पीपली सीकर रोड जयपुर से गिरफ्तार किया हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुलिस महानिदेशक डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि वर्ष 2017 में हुए रिश्वत प्रकरण का आरोप प्रमाणित होने पर यह कार्रवाई की गई हैं। उस दौरान आकाश रंजन तहसीलदार के पद पर तैनात थे। परिवादी चन्दर सिंह निवासी ठाम महेशर तहसील तिजारा ने एसीबी चौकी अलवर में 19 जुलाई 2017 को एक रिपोर्ट दी थी कि उसके पिता द्वारा खरीदी गई जमीन के वसीयतनामा के आधार पर उसके पुत्र एवं भाईयों के पुत्र के नाम इंतकाल का तहसीलदार तिजारा से निर्णय कराने की एवज में तहसीलदार व उसके कार्यालय के सहायक कार्यालय अधीक्षक रिश्वत राशि की मांग कर रहे है।

आकाश रंजन

जिस पर एसीबी अलवर की टीम ने 19 जुलाई 2017 को रिश्वत मांग की शिकायत का सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान आरोपी और तहसीलदार आकाश रंजन के नाम से 8 हजार रुपए रिश्वत की मांग करना पाया गया था। जिस पर 20 तारीख को एसीबी ने ट्रेप की कार्रवाई को अंजाम दिया। ट्रेप के दौरान एसीबी ने दलाल मानसिंह की शर्ट की जेब से 8 हजार रुपए रिश्वत के बरामद किये। जिस पर एसीबी ने दलाल मानसिंह और सहायक कार्यालय अधीक्षक राधेश्याम मौर्य तहसील तिजारा को गिरफ्तार किया था।

आरोपी आकाश रंजन से रिश्वत राशि के संबंध में आरोपी राधेश्याम मौर्य की मोबाईल फोन पर बात करवाई गई, बात करने के दौरान आरोपी आकाश रंजन तत्कालीन तहसीलदार का रिश्वत मांगने एवं प्राप्त करने में सम्मिलित होना पाया गया था। आकाश रंजन को ट्रेप की कार्रवाई की भनक लगने पर मौके से फरार हो गया था। आकाश रंजन तत्कालीन तहसीलदार तिजारा जो अभी सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जयपुर में तैनात हैं। उनके खिलाफ अपराध प्रमाणित पाये जाने पर एसीबी कोर्ट अलवर में 16 फरवरी 2022 को चार्जशीट पेश की गई थी। आरोपी आकाश रंजन नोटिस तामील के पश्चात भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। जिस पर कोर्ट ने आरोपी आकाश रंजन का गिरफ्तारी वारंट जारी किया जिस पर गिरफ्तारी की गई।

Office of Chief Medical & Health Officer, Pali (Raj.)
E-Mail ID-emho-pal-rj@nic.in, E-Mail ID- nuhmpali@gmail.com
Sr. No./ NHM/E-Tender/2024 Dated-
Notice Inviting E-Bid
E-Bid for Food & Accommodation Arrangement and Printing Work/supply through rate contract are invited from interested bidders upto 22.07.2024. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://sppp.raj.nic.in, http://eproc.rajasthan.gov.in) of the State. The aproximate value of the Food Tender is Rs. 96 Lakh only and Printing Tender is Rs. 60 Lakh only.
1. UBN NO. MHS2425WSRC01369, 2. UBN NO. MHS2425SLRC01370
Chief Medical & Health Officer
Pali
DIPR/C/5922/2024

कार्यालय अधिशाषी अभियंता
सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-पाली (राज.)
क्रमांक-1114 से 1140 दिनांक-10.07.2024
निविदा सूचना संख्या - 04 वर्ष 2024-25
राजस्थान के राज्यपाल की ओर से विभिन्न कार्यों के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों जो कि राजस्थान सरकार के एए, ए, श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन निविदायें प्राप्त करने हेतु आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित वेबसाइट www.dipr.rajasthan.gov.in व https://sppp.rajasthan.gov.in व https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
निविदा के NIB Code है- PWD2425A0659
निविदा के UBN No. है- PWD2425WSOB02454, PWD2425WSOB02455, PWD2425WSOB02456, PWD2425WSOB02457, PWD2425WSOB02458, PWD2425WSOB02459
अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड-पाली
DIPR/C/5916/2024